न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 284/2016

आरसीएमएस नं. 2016/00013

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सुखचरण सिंह
2. सुखजिन्द्र सिंह

} पिसरान तेजा सिह जाति जटसिख साकिन 4 एलकेएस–बी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ (राज0)

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.07.2014 प्र0 सं0 05/2014
अनवान सुखचरण सिंह आदि बनाम सरकार,
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

उपस्थितिः–

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक

श्री खुशप्रीत सिह संधू अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय दिनांक 01.07.2022

1. अपील से संबंधित सुसंगत एवं संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र पेश किया कि चक नं. 5 एलकेएस–ए पन. नं. 16/278 व प. नं. 15/278 (15) की कुल 5.213 है0 भूमि राष्ट्रपति भारत सरकार भूमि अभिलेख में दर्ज है ... काबिज है एवं बैयनामा से खरीदशुदा है एवं मूल अलाटी ने ... कर दी है। भविष्य में अगर कोई राशि बकाया होगी ... पाबंद ... इसलिए भूमि की खातेदारी सनद जारी की जावे। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

द्वारा नियमितिकरण के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद करना बताते हुए आवेदन प्रस्तुत किया था परन्तु मूल आवटी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होने के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी। सीलिंग सम्बन्धी जांच की जानी आवश्यक थी जो नहीं की गई। मूल आवंटन पत्रावली तलब नहीं की गई है जबकि उसे तलब किया जाना आवश्यक था। आवटी की किसी प्रकार की कोइ राशि बकाया है या नहीं उक्त तथ्य मूल पत्रावली तलब होने पर ही पता लग सकता था। निर्णय कयास के आधार पर पारित यिा है। पत्रावली निर्णय होने के उपरान्त विधि परीक्षा हु श्रीमान जिला कलक्टर के यहां जाने पर विधि परीक्षण में अपीलाधीन निर्णय अपील योग्य पाये जाने पर अपील तैयार करने हेतु राजकीय अधिवक्ता अपील प्रस्तुत करने पर अपील तैयार प्रस्तुत की जा रही है। विलम्ब को क्षमा किया जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में बहस में कथन किया कि प्रश्गनत भूमि रेस्पोडेण्ट ने मूल अलॉटी से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से खरीद की है। इसलिए उसे सुने जाने की आवश्यकता नहीं है। भू राजस्व निष्क्रान्त भूमि का आवंटन नियम 1963 की धारा 5 (2) (क) व राजस्थान के परिपत्र एफ–1 (15) दिनांक 09.10.2009 व दिनांक 01.12.2011 की अनुसरण में यह अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यदि कोई बकाया राशि होगी तो रेस्पोडेण्ट उसे चुकाने के लिए आज भी तैयार है। अधीनस्थ न्यायालय ने सीलिंग सीमा, बकाया राशि एवं नियमितिकरण के सभी तथ्यों को देखते हुए प्रकरण को नियमितिकरण योग्य मानते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Karlar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, मुताबिक जमाबन्दी संवत 2068–71 चक नं. 5 एलकेएस–ए पन. नं. 16/278 व प. नं. 15/278 (15) की कुल 5.213 है0 भूमि मूल आवंटी बक्शी वल्द पहाड़ कौम भाट के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मूल आवंटी ने अपनी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोडेण्ट को बैय कर दी है। बैयनामा उप पंजीयक पीलीबंगा से पंजीयनशुदा है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार बैयनामा के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर क्रेता का कब्जा काश्त है। भूमि सीलिंग सीमा से प्रभावित नहीं है व एकल खातेदारी है। कब्जा काश्त के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेण्ट ने अपने प्रार्थना–पत्र में यह अंकित किया है कि यदि कोई बकाया राशि है जो जमा करवाने हेतु तैयार है। विचारण न्यायालय ने भू राजस्व निष्क्रान्त भूमि का आवंटन नियम 1963 की धारा 5 (2) (क) व राजस्थान के परिपत्र एफ–1 15 दिनांक 09.10.2009 व दिनांक 01.12.2011 के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं जिसमें किसी प्रकार की विधि अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2014 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावें पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2023.07.13 13:13:15 IST
Reason: SelfAttested

1/7/22
(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़